न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

प्रकाश बनाम मोरी

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 108 / 2024

24.04.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थीगण द्वारा असल अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 143 आराजी खसरा नम्बर 18 / 0.10, 21 / 0.13, 34 / 0.22, 54 / 0.08, 64 / 0.01, 66 / 0.08 कुल किता 6 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। असल अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी को विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्व न करें, न करावें, ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य करें, ना ही प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में उनके हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोंग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें एवं उक्त आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनायें रखें। अंत में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत असल अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी जमाबंदी सम्वत् 2072–75 के अनुसार प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण प्रत्येंक 1 / 16–1 / 16 हिस्से व असल अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1 / 4–1 / 4 हिस्से के काबिज रिकॉडेड काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी पक्षकारन की शामलाती आराजी है जिसका विधिवत व वाहमी तौर पर कभी कोई बटवारा पक्षकारन के मध्य नही हुआ है। वादी तकसीम कराने का अधिकारी है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः असल अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है हाल खाता संख्या 143 आराजी खसरा नम्बर 18 / 0.10, 21 / 0.13, 34 / 0.22, 54 / 0.08, 64 / 0.01, 66 / 0.08 कुल किता 6 कुल रकबा 0.62 है0 वाके ग्रांम थाना तहसील राजगढ जिला अलवर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 24.05.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। SSK (सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर 24/5/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 8/8/24 को पेश हो। रीडर 08.08.2024 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते तलबी दिनांक 16.10.2024 को पेश हो। SSK SDO 16/10/24 अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 26/11/24 को पेश हो S.D.O. 26/11/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित वास्ते तलबी 27/01/25 को पेश हो। SDO 27/01/25 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27/03/25 को पेश हो। रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
03/10/25 पत्रावली अशुभाई तारी एवं से पेशी मूलवाद 09RS में शामिल किया जा चुका है। अत: प्रारंभिक धारा 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। SDO	